**सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 के अधीन आवेदन पत्र**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

सेवा. में,

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं उसके साथी न्यायाधीश।

1. यह कि अपीलार्थी ने वाद सं.... सन् 1981 से सम्बन्धित इस न्यायालय की मूल शाखा में माध्यस्थम अधिनियम की धारा 20 के अधीन एक याचिका दाखिल किया था।
2. यह कि कथित वाद में अपीलार्थी ने बैंक गारंटी को भुनाने से अपीलार्थी को अवरुद्ध करने वाला एक अस्थायी व्यादेश को जारी करने के लिए कहना माध्यस्थम अधिनियम की द्वितीय अनुसूची सपठित धारा 41 के अधीन विविध आवेदन पत्र सं.............. प्रस्तुत किया था।
3. यह कि आवेदन पत्र का विनिश्चय इस न्यायालय की आदरणीय............. न्यायमूर्ति द्वारा किया गया जिसने अभिनिर्धारित किया कि यह सस्थापित था कि पक्षकारों के बीच प्रारम्भिक संविदा में स्वयं की उत्पत्ति भी यद्यपि रखते हुए गारण्टी पालन ऐसा होने पर स्वायत्त एवं स्वतंत्र संविदा है।

यह कि बैंक जो गारण्टी पालन देता है, इसकी शर्तों के अनुसार गारण्टी का अवश्य आदर करना चाहिए और यह कि पूर्तिकर्ता एवं उपभोक्ता के बीच सम्बन्धों से कम से कम नहीं सम्बन्धित है और न ही पक्षकारों द्वारा बाध्यताओं का पालन करने के प्रश्न से ही सम्बन्धित होता है। गारण्टी को आत्यंतिक होने के लिए आबद्ध किया गया आवेदन पत्र को तदानुसार खारिज कर दिया गया।

1. यह खारिजी के आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील दाखिल किया जिसको तारीख

.......... 1984 को इस आदरणीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और एक अन्तःकालीन व्यादेश अपीलार्थों को मंजूर किया जा चुका है।

1. यह कि सादर निवेदन किया जाता है कि मुद्दा या माध्यस्थम अधिनियम को निर्देश देने योग्य है और माध्यस्थम विधि, इस देश में प्रवृत्त एक विशेष विधि होने वाली को मददे में आकर्षित किया जाता है और वह विधि कार्यवाही के आगामी अनुक्रम को शासित करेगा।
2. यह कि विधि के सन्दर्भ में एक अपील को दाखिल करने के मुकाबले में जिसको आकर्षित किया जाता है, उसी तारीख को क्रिस्टल बनायेगा जिस पर मुद्दे को पारभिक रूप से संस्थित किया गया और पश्चात्वर्ती संशोधन प्रतिवादी के अधिकार को प्रतिकूल तौर पर नहीं प्रभावित कर सकेगा और ऐसे रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 को आकर्षित किया जाता है और अन्तिम व्यादेशों के साथ-साथ अपील को स्वीकृत करने के आदेश मुददे पर न लागू होने वाले सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध इस आदरणीय न्यायालय की अधिकारिता के परे है।
3. यह कि यह समीचीन है कि अपील को स्वीकृत करने का और अस्थायी व्यादेश को जारी करने का आदेश को वापस मांगा जा सकेगा और अपील न पोषणीय होने के रूप में खारिज किया जा सकेगा।

**प्रार्थना**

यह अतएव सादर प्रार्थना की जाती है कि इस आदरणीय न्यायालय को अपील कोस्वीकृत करने वाले आदेश को वापस लेने के लिए प्रसन्न किया और अस्थायी व्यादेश दिनांकित................. को जारी करने के लिए वापस ले लिया जाय तथा अपील अधिकारिता के बगैर होने के कारण खारिज कर दी जाय।

**वादी**

**जरिये अधिवक्ता**

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

वादी